नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 5 यूनिटों को नोटिस जारी किये गये हैं । एक यूनिट को दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है । एक यूनिट को कोयले के स्थान पर द्रव्य पेट्रोलियम गैस या बिजली जैसे गैर-प्रदूषक इंधन का प्रयोग करने का निदेश दिया गया है । पांच अन्य यूनिटों में भी निरीक्षण किया गया है और उन्हें नोटिस जारी किये जा रहे हैं । तीन यूनिटों को निरीक्षण के दौरान बन्द पाया गया ।

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन

*396. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से यह कहने का निश्चय किया है कि वे केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) को तैयार करने के सिलसिले में सभी योजना स्कीमों की, जिनमें केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित स्कीमें भी शामिल हैं, समीक्षा की जा रही है । राज्य सरकारों, को केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित उन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जानी हैं, उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जायेंगे ।

तट रक्षक परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*397. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को तट रक्षक परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ और उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है, यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 10 मार्च, 1986 के संकल्प संख्या 1975/एस/रक्षा/सचि/86 के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में तट रक्षक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें रक्षा गृह, वित्त (राजस्व विभाग), विधि,, कृषि, विदेश और भू-तल परिवहन मंत्रालयों और महासागर विकास और पर्यावरण विभागों, नौसेना और तट रक्षक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं इस समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए :—

(एक) उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना ।

(दो) इन कार्यों में लगी एजेंसियों की विविधता को समाप्त करना और बेहतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना ।

(तीन) तट रक्षक संगठन तथा नौसेना, सीमा शुल्क, महासागर विकास विभाग और पर्यावरण विभाग तथा अन्य समुद्री एवं अर्ध सैनिक संगठनों के परस्पर कार्यों और क्षेत्राधिकार (कार्यात्मक और भौगोलिक) को पुनः निर्धारित करना ।

2. समिति को निम्नलिखित पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देनी थीं :—

(एक) भौतिक और कार्यात्मक दोनों तरह के क्षेत्राधिकार सही-सही निर्धारण

करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ताकि पूरा दायित्व सुनिश्चित किया जा सके निम्नलिखित के संबंध में तट रक्षक की भूमिका और क्षेत्राधिकार निर्धारित करना:—

(क) तट रक्षक का सांविधिक दायित्व, और

(ख) अन्य एजेंसियों के सांविधिक दायित्व।

(दो) अन्य संबंधित एजेंसियों, विभागों और संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया एवं रूपरेखा।

(तीन) उपर्युक्त पैरा (एक) और (दो) से जिन दायित्वों की सिफारिश की गई है, उन्हें ठीक तरह से पूरा करने के लिए तट रक्षक को किस मंत्रालय के अधीन कार्य करना चाहिए।

(चार) उपरोक्त पैरा (एक) में दिए गए विषय से संबंधित कोई अन्य मामला।

3. तट रक्षक सलाहकार समिति की रिपोर्ट सरकार को 30 सितंबर, 1986 को प्राप्त हुई।

4. समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है:—

तट रक्षक सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशें—

(एक) कृषि मंत्रालय (अब खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय) को भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1989 में व्यापक संशोधन करने की कार्रवाई करनी चाहिए।

(दो) पकड़े गए विदेशी ट्रालरों/ कर्मीदल के सदस्यों आदि के संबंध में कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूरी कर ली जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय को उपयुक्त कानून बनाना चाहिए।

(तीन) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 को कारगर ढंग से लागू करने के लिए उसमें उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए ताकि कृषि मंत्रालय मुकदमों को शीघ्र निपटाने का प्रयास कर सके।

(चार) कृषि मंत्रालय को चाहिए कि वह जिन समुद्रतटीय राज्यों में उपयुक्त रूप से कानून नहीं बनाए गए हैं उनसे अपने राज्य के मछुआरों के हितों एवं अधिकारों के लिए मछली पकड़ने के क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए तेजी से कानून बनाने के लिए कहे।

(पांच) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेईमान भारतीय उद्यमी लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें कृषि मंत्रालय को इस विषय पर विचार करके उपयुक्त अनुदेश जारी करने चाहिए।

(छः) समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए कृषि मंत्रालय को उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

(सात) गृह मंत्रालय को अंदमान और निकोबार प्रशासन तथा समुद्रतटीय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इस आशय के अनुदेश जारी करने चाहिए जिनमें उन्हें यह निर्देश दिए गए हैं कि पकड़े गए विदेशी ट्रालरों पर यथासम्भव भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत मुकदमा चलायें।

(आठ) व्यवहार्य एवं कारगर प्रबंध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भू-तल परिवहन विभाग को पकड़े गए ट्रालरों आदि को बांधने, उनकी सुरक्षा और और अनुरक्षण से संबंधित समस्याओं का पुनरीक्षण करना चाहिए।

(नौ) एस. ए. आर. —79 सम्मेलन के बारे में मंत्रिमण्डल के लम्बित पड़े निर्णय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि तट रक्षक और अन्य संबंधित एजेंसियां अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

(दस) भू-तल परिवहन विभाग को समुद्र में जीवन की सुरक्षा विषय से संबंधित बैठकों/सेमिनारों में पर्याप्त प्रातिनिधित्व देना चाहिए।

(ग्यारह) भू-तल परिवहन विभाग को शीघ्र उपयुक्त कदम उठाने चाहिएं ताकि समुद्री प्रदूषण से संबंधित मामलों में आई. एम. ओ. के साथ संविदायें करने के लिए तट रक्षक एक महत्वपूर्ण निकाय के रूप में कार्य कर सके।

(बारह) सदस्य (सीमा-शुल्क), तट रक्षक महानिदेशक और अन्य संबंधित अफसरों के साथ तीन माह में कम से कम एक बार नियमित बैठक होनी चाहिए।

(तेरह) राजस्व विभाग को तट रक्षक बेड़े में 6 अन्तरोधी नौकाएं शामिल करने के बारे में विचार करना चाहिए।

(चौदह) तट रक्षक संगठन को नौसेना मुख्यालय के परामर्श से तट-रक्षक पोतों के लिए एक संचार योजना तैयार करनी चाहिए ताकि समुद्र में कार्रवाई और संचालन के दौरान कार्रवाई के समन्वय के संबंध में सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ सम्पर्क किया जा सके।

(पंद्रह) समुद्री प्रदूषण रोकने और प्रदूषण के संबंध में कार्रवाई करने वाले दलों के गठन के संबंध में आधारभूत अपेक्षित ढांचे की स्थापना संबंधी तट रक्षक के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय को निर्णय लेना चाहिए।

(सोलह) सेनाध्यक्ष समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित महत्वपूर्ण स्थापनाओं की समुद्री सुरक्षा का काम तट रक्षक को सौंपने के संबंध में रक्षा मंत्रालय को निर्णय लेना चाहिए।

(सत्रह) तट रक्षक संगठन रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता रहे। रक्षा मंत्रालय को इस संगठन के नियमित कार्मिकों की मौजूदा सेवा-शर्तों की समीक्षा करनी चाहिये।

(अठारह) समुद्री संसाधनों आदि के संरक्षण की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा कारणों से लगाये गये प्रतिबंधों को इस संगठन द्वारा कारगर ढंग से लागू किया जाना चाहिये।

(उन्नीस) भारतीय मछुआरों के संबंध में बराबर तालमेल और कारगर समन्वय बनाये रखने के लिये इस संगठन को सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से तिमाही बठकें आयोजित करनी चाहियें।

(बीस) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम को दृढ़तापूर्वक लागू करने को सुनिश्चित करने के लिये तटरक्षक को अपनी सभी विरचनाओं को विस्तृत निर्देश जारी कराये जाने चाहियें। ये अनुदेश सभी संबंधित मंत्रालयों से विचार-विमर्श करके और रक्षा मंत्रालय की सहमति से जारी किये जाने हैं।

(इक्कीस) तटरक्षक को नौसेना मुख्यालय और कृषि मंत्रालय के साथ परामर्श करके मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के साथ एक प्रभावी संचार योजना तैयार करनी चाहिये।

(बाईस) इस संगठन को तेल रिसाव से होने वाले विनाश को रोकने के लिये संबंधित एजेंसियों के साथ मिल कर एक राष्ट्रीय योजना तैयार करनी चाहिये।

(तेईस) समुद्र तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समुद्री प्रदूषण की स्थिति के बारे में तटरक्षक को जानकारी देनी चाहिये।

(चौबीस) इस संगठन को सीमाशुल्क विभाग के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करनी चाहियें ताकि परस्पर विचार-विमर्श करके कार्य-योजनायें तैयार की जा सकें और उनका कारगर कार्यान्वयन किया जा सके।

(पच्चीस) संगठन की सीमा-शुल्क विभाग के साथ परस्पर विचार-विमर्श

तथा सहयोग करके अपनी तस्करी विरोधी गतिविधियों को समन्वित करना चाहिये ।

(छब्बीस) इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन तथा योजनाओं के कारगर समन्वय के लिये महानिदेशक तट रक्षक को अपने एक वरिष्ठ तट रक्षक अफसर को प्रतिनियुक्ति पर राजस्व विभाग में भेजने के लिये सदस्य (सीमा-शुल्क) के साथ परामर्श करके कार्रवाई करनी चाहिये ।

5. अब तक निम्नलिखित सत्रह सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं, अर्थात्, सिफारिश संख्या चार, पांच, आठ, दस, बारह, तेरह, चौदह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, तेईस, चौबीस, पच्चीस और छब्बीस ।

6. सिफारिश संख्या एक, छः, सात, नौ, पन्द्रह और बाईस पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई चल रही है । आशा है वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी कर ली जायेगी ।

7. निम्नलिखित तीन सिफारिशों के संबंध में कार्यान्वयन की कार्रवाई कुछ कानूनी अड़चनों/प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण आगे नहीं बढ़ाई जा सकी :–

सिफारिश संख्या दो, तीन और ग्यारह ।

Encouragement of electric cremation

*398. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government propose to encourage cremation in Electric Crematorium in order to save wood ;

(b) if so, what are the details in this regard ; and

(c) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SMT. MANEKA GANDHI) : (a) to (c) The New National Forest Policy of 1988 stipulates that to relieve existing pressure on forests for the demand of wood, recourse should be taken to substitution of wood. The policy states that full needs should be substituted as far as possible with alternate sources. The total requirement of fuel wood for cremation as estimated by the Advisory Board on Energy (ABE) May, 1985 is around 20 lakh tonnes annually for the country. This works out to a daily requirement of 5,500 tonnes approximately. The Government is encouraging setting up of electric crematoria for cremation purposes, 28 schemes involving setting up of 34 electric crematoria costing Rs. 11.50 crores have been sanctioned under Ganda Action Plan during the past four years. Municipal Commissioners of all cities with a population of more than one million have been requested to formulate action plans to instal electric crematoria. They have also been requested to consider installation of improved food burning crematoria if it is not possible to provide electric crematoria immediately.

Amount sanctioned for National Missile Test Range at Baliapal in Orissa

*399. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the total amount sanctioned for Missile Test Range at Baliapal in Balasore District of Orissa;

(b) the amount spent in this regard up to 30th April, 1990; and

(c) whether provision for more funds has been made for this pur-